मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 16 फरवरी, 2005 (माघ 27, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(डॉ. सुनीलम्, सदस्य समाजवादी पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या-13 (क्रमांक-1569) पर चर्चा के दौरान विद्युत मण्डल द्वारा किसानों की बिजली काटे जाने के विरोध में गर्भगृह में आकर नारे लगाये गये तथा सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 78 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल जिले के हमीदिया अस्पताल में शल्य चिकित्सा उपलब्ध न होने,

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के ग्राम द्वारकापुरा में पुलिस एवं डकैतों के भय से स्कूल बंद होने,

(3) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने उज्जैन जिले के नागदा स्थित ग्रेसिम कारखाने के प्रदूषित रसायन को चंबल नदी में छोड़े जाने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने जिला श्योपुर में पांच हाईस्कूलों में प्राचार्यो के पद रिक्त रहने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने जिला टीकमगढ़ की प्रमुख सड़कों की जर्जर हालत होने,

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने जिला रीवा के मउगंज विधानसभा क्षेत्र में विद्युत वितरण केन्द्र की कमी से उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज से विद्युत प्रदाय होने,

(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के ग्राम सनखेड़ा निवासी संतराम को सर्प काटने से मृत होने, तथा

(8) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने भोपाल के राजधानी प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), तथा

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 42 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2003-2004,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश के भिण्ड, मुरैना, श्योपुर सहित अन्य जिलों में सिंथेटिक दूध बनाकर बेचे जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य ने सीहोर जिले के ग्राम खाईखेड़ा एवं ग्यारसपुरा ग्रामों में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इछावर के क्षेत्रान्तर्गत कराये गये पौध रोपण कार्यों में अनियमितता होने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, नर्मदा घाटी विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं का प्रस्तुति

(1) श्री रामदास उइके, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम रजाड़ा से पालाखेड़ तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम पटपड़ा से मोरडोंगरी खुर्द तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ग) ग्राम मोहखेड़ से लोहांगी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(घ) ग्राम पालाखेड़ से बैतूल रोड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ड.) ग्राम कन्हरगांव में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,
(च) ग्राम चारगांव व बागदेव के मध्य नदी पर पुलिया बनाये जाने,
(छ) ग्राम पटपड़ा में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा
(ज) ग्राम लोहांगी में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(2) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के ग्राम नांदनेर से मिड़वानी देवरी तक सड़क बनाये जाने,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम चांद से जमतरा तक पक्की सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम बांदगांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने,
(ग) चौरई नगर में अनुविभागीय अधिकारी (जल संसाधन) का कार्यालय खोले जाने,
(घ) ग्राम रिंगनाला छानीघाट में जलाशय का निर्माण कराये जाने,
(ड.) ग्राम नवेगांव मकरिया एवं चन्दनवाड़ा के मध्य जलाशय का निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम पिपरिया टांडा में जलाशय का निर्माण कराये जाने, तथा
(छ) ग्राम नीलकंठीकलां के पास जलाशय का निर्माण कराये जाने, एवं

(4) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले के मनगवां नगर को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हुई त्रुटि को सुधारे जाने संबंधी महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के बजट सत्र 2005 के आरंभ में दिनांक 7 फरवरी, 2005 को राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गये अभिभाषण में सुधार के संबंध में राज्यपाल महोदय से दिनांक 15 फरवरी, 2005 को जो संदेश प्राप्त हुआ है, वह निम्न प्रकार है :-

प्रिय श्री अध्यक्ष,

मैंने म.प्र. विधान सभा के बजट सत्र सन् 2005 के आरंभ में दिनांक 7 फरवरी 2005 को जो अभिभाषण दिया था उसके बिन्दु क्रमांक 36 की तीसरी पंक्ति में "अधिनियम संशोधित" तथा नवीं पंक्ति में "अधिनियम" के स्थान पर क्रमशः "संशोधन विधेयक पारित" और "विधेयक" पढ़ा जाए। कृपया तदनुसार सदन को सूचित करें।

भवदीय

(बलराम जाखड़)
राज्यपाल

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री आरिफ अकील, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(चर्चा अपूर्ण)

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 16 फरवरी, 2005 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।

क्र.	प्रतिवेदन का नाम	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संबंधी दशम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003	2 घंटे 30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2003-2004)	2 घंटे 30 मिनट

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृती हुआ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा (क्रमशः) (पूर्वानुबद्ध)

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से की गई कथित टिप्पणी के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देते हुए अपना भाषण पूर्ण किया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2005 (माघ 28, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.